Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बांसवाड़ा में राजस्व पटवारी 3 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *01 फरवरी* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज मंगलवार को बांसवाड़ा में कार्यवाही करते हुये श्री नगेन्द्र लाल, पटवारी पटवार हल्का केसरपुरा जिला बांसवाड़ा को परिवादी से 3 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरी पत्नि के नाम से क्रय शुदा कृषि भूमि का मौका मुआयना व नामान्तरण खोलने की एवज में हल्का पटवारी श्री नगेन्द्र लाल द्वारा 14 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बांसवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माधोसिंह** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज अपनी टीम द्वारा तहसील परिसर अरथुना जिला बांसवाड़ा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये नगेन्द्र लाल पुत्र वासूवेद खांट जाति भील निवासी हेरपाड़ा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा, हाल पटवारी पटवार हल्का केसरपुरा जिला बांसवाड़ा को परिवादी से 3 हजार **रूपये की बकाया रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।